623/प02
26-6-19

संख्या-73प0मं0/सैंतीस-2-2019-5(2)/2018

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक- 14 जून, 2019

विषय:- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-71/2019/1329/सैंतीस-2-2019-5(2)/2018, दिनांक-16.05.2019 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना योजनान्तर्गत रू0-8160.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक-16.05.2019 के प्रस्तर-5 में विहित निर्देशों के अनुपालन में जिन जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा वर्ष 2019-20 में प्रश्नगत कार्य के लिए कार्यदायी संस्था अभी नामित/चयनित नहीं की गयी है और निम्नांकित में से कोई कार्यवाही अभी तक नही की गयी है, सम्यक विचारोपरान्त उन जनपदों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों के लिए एतद्द्वारा संलग्न सूची के अनुरूप कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है:-

(क) - डी.पी.आर. पर जिलाधिकारी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है <u>एवं/अथवा</u>
(ख) - पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था के पक्ष में धनराशि अवमुक्त की है <u>एवं/अथवा</u>
(ग) - कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य आरम्भ किया है <u>एवं/अथवा</u>
(घ) - ई-टेण्डर को अन्तिम स्वरूप दिया है।

2- प्रश्नगत प्रकरण में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जहाँ जिलाधिकारी उनके द्वारा नामित/चयनित कार्यदायी संस्था के कार्य से संतुष्ट हों या कार्यदायी संस्था का कार्य उपयुक्त हो अथवा ई-टेण्डरिंग कर ली गयी हो, वहाँ पर जिलाधिकारी द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था से ही कार्य पूर्ण कराया जाय। जहाँ पर जिलाधिकारी द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य धीमी गति से किया जा रहा हो या अभी प्रारम्भ नहीं किया गया हो तथा कार्यदायी संस्था कार्य करने में अक्षम पायी जा रही हो अथवा कार्यदायी संस्था को बदलने से निर्माण कार्य सुचारू एवं त्वरित गति से हो सके वहाँ पर शासन स्तर से नामित/चयनित कार्यदायी संस्था से निर्माण कार्य संबंधित जिलाधिकारी द्वारा कराया जाये।

3- यह आदेश सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

AH/26.6.19

<u>संलग्नकः नामित कार्यदायी संस्था की सूची।</u>

(ओ0गी0ला0)

भवदीय,
14/6/19
(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

-06-19 <u>पृ0सं0-73प0मं0(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0), लखनऊ।
(2) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0), लखनऊ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ।
(4) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 (निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग के माध्यम से)।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

26/6/19

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों के लिए नामित कार्यदायी संस्था की सूचीः-

(1) **उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0)**-आज़मगढ़ मण्डल, लखनऊ मण्डल, इलाहाबाद मण्डल, कानपुर मण्डल, चित्रकूट मण्डल, बस्ती मण्डल, वाराणसी मण्डल, आगरा मण्डल, अलीगढ़ मण्डल एवं गोरखपुर मण्डल के सभी जनपदों में निर्मित वृहद गौसंरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु। (10मण्डल, 42जनपद)

(2) **उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0)**-मिर्जापुर मण्डल, देवीपाटन मण्डल, अयोध्या (फैजाबाद) मण्डल एवं झांसी मण्डल के सभी जनपदों में निर्मित वृहद गौसंरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु। (04मण्डल, 15जनपद)

(3) **उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0)**-सहारनपुर मण्डल, मेरठ मण्डल, मुरादाबाद मण्डल एवं बरेली मण्डल के सभी जनपदों में निर्मित वृहद गौसंरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु। (04मण्डल, 18जनपद)

14/6/19